

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1999 (चैत्र 1, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.) का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (दिनांक 1.7.97 से 30.6.98 तक का) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 1997-98,

(ख) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1992-93 ; तथा

(ग) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अवैध गतिविधि जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 5 अगस्त, 1997 द्वारा न्यायमूर्ति श्री जी.जी.सोहनी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, पटना, शासन के संकल्प सहित, पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले में नलकूप खनन की दरों की स्वीकृति में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजराज सिंह चौहान, कंकर मुंजारे, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, श्योपुर, बालाघाट एवं राजनांदगांव जिले के पुलिस आरक्षकों की भर्ती में अनियमितता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गणेशराम खटीक, सदस्य, दमोह जिले में कोपरा नदी पर पुल बनाये जाने ; तथा

(2) श्री मुशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम खड़ियाहार में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 5. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री श्रवण कुमार पटेल, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 5293) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

### 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 5 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 14 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय  
उ घन्टे

### 7. वर्ष 1999-2000 की अनुषानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

उ घन्टे	(1) मांग संख्या 03 मांग संख्या 04 मांग संख्या 53 मांग संख्या 65	पुलिस गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस विमानन
2 घन्टे	(2) मांग संख्या 18 मांग संख्या 34 मांग संख्या 66	श्रम समाज कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण
2 घन्टे	(3) मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

### 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 1999 (क्रमांक 7 सन् 1999) का पुरस्थापन \* करेंगे.

भोपाल :  
दिनांक : 21 मार्च, 1999

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

\* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.